न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:—26/2018 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. शमशेर पुत्र श्री भूरा जाति फकीर निवासी गढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0— फौत
   1/1. फाजूदीन पुत्र स्व0 शमशेर,
   1/2. मोहोरमदीन पुत्र स्व0 शमशेर जाति फकीर निवासी गढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर मृतक
   1/2/1. ईमरत पुत्र स्व0 श्री मोहरम्मदीन जाति फकीर नाबालिग जर्ये सरपरस्त श्री ईमामशाह फकीर निवासी ग्राम कजोता तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर
   1/3. श्रीमती नन्नी पुत्री स्व0 शमशेर पत्नि नसीबा जातति फकीर निवासी ग्राम ककराली तहसील व जिला अलवर ।

.... अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

1. जुगरावर सिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह जाति राजपूत — मृतक जरिये वारिसान
   1/1. हनुमानसिंह पुत्र श्री जुगरावरसिंह जाति राजपूत,
   1/2. बजरंगसिंह पुत्र श्री जुगरावरसिंह जाति राजपूत,
   1/3. मनोहरसिंह पुत्र श्री जुगरावरसिंह जाति राजपूत,
   1/4. श्यामसिंह पुत्र श्री जुगरावरसिंह जाति राजपूत,
   1/5. कृष्णा कंवर पुत्री श्री जुगरावरसिंह जाति राजपूत,
   1/6. श्रीमती मदन कंवर बेवा श्री जुगरावरसिंह जाति राजपूत, निवासीयान ग्राम गढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।

.... रेस्पो0 /वादीगण

अपील सं0:—27/2018 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. शमशेर पुत्र श्री भूरा जाति फकीर निवासी गढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0— फौत

1/1. फाजूदीन पुत्र स्व0 शमशेर,

1/2. मोहोरमदीन पुत्र स्व0 शमशेर जाति फकीर निवासी गढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर —मृतक

1/2/1. ईमरत पुत्र स्व0 श्री मोहरम्मदीन जाति फकीर नाबालिग जर्ये सरपरस्त श्री ईमामशाह फकीर निवासी ग्राम कजोता तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर

1/3. श्रीमती नन्नी पुत्री स्व0 शमशेर पत्नि नसीबा जाति फकीर निवासी ग्राम ककराली तहसील व जिला अलवर ।

.... अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

1. जुगरावर सिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह जाति राजपूत — मृतक जरिये वारिसान

1/1. हनुमानसिंह पुत्र श्री जुगरावरसिंह जाति राजपूत,

1/2. बजरंगसिंह पुत्र श्री जुगरावरसिंह जाति राजपूत,

1/3. मनोहरसिंह पुत्र श्री जुगरावरसिंह जाति राजपूत,

1/4. श्यामसिंह पुत्र श्री जुगरावरसिंह जाति राजपूत,

1/5. कृष्णा कंवर पुत्री श्री जुगरावरसिंह जाति राजपूत,

1/6. श्रीमती मदन कंवर बेवा श्री जुगरावरसिंह जाति राजपूत, निवासीयान ग्राम गढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।

.... रेस्पो0 /वादीगण

उपस्थित :—

1. श्री दाताराम गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट ।

2. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :—05.10.2018

यह दो अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिकी दिनांक 31.12.2002 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में वाद सं0 1/293 जुगरावर बनाम शमशेर के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने आराजी हाल ख0 नं0 185 रकबा 71 ऐयर वाके ग्राम गढ़ तहसील राजगढ़के संबंध में वाद

दायर किया और निवेदन किया कि विवादित आराजी वादी की खातेदारी की आराजी है और वादी सम्वत् 2046 से पूर्व कागजात माल में खातेदार काश्तकार दर्ज है । गत बन्दोबस्त सम्वत् 2014 से पूर्व भी वादी व वादी का पिता आराजी पर बहैसियत काश्तकार काबिज था । ग्राम गढ़ जागीर का गांव था । वादी का पिता कल्याणसिंह ग्राम गढ़ के जागीरदार थे । विवादित आराजी पर कोर्ट ऑफ वाईस कायम था । सम्वत् 2009 की गिरदावरी खसरा टीप में वादी के पिता बहैसियत काश्तकार काबिज थे । बन्दोबस्त सम्वत् 2014 में हुआ तब वादी को नियमानुसार खातेदार दर्ज किया । प्रतिवादी को गलती से सिकमी काश्तकार दर्ज कर दिया । बन्दोबस्त हाल सम्वत् 2046 में प्रतिवादी ने बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों से मिलकर विवादित आराजी अपने नाम खातेदारी दर्ज करा लिया जो खिलाफ मौका व कानून है ।

वाद सं0 1/150/91 बउनवानी शमशेर बनाम जुगरावर के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने आराजी ख0 नं0 195 वाके गढ़ तहसील राजगढ़ के संबंध में दावा दायर कर निवेदन किया कि विवादित आराजी से प्रतिवादी का कोई संबंध नहीं है । प्रतिवादी वादी को बेदखल करना चाहता है जिसकी धमकी दी और निवेदन किया कि वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी को पाबन्द करने का अनुरोध किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों दावें दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए वाद सं0 1/293 डिक्री कर दिया व वाद सं0 1/150 दि0 31.12.2002 को खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 31.12.2002 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

चूंकि प्रकरण में एक समान पक्षकार व एक समान विवादित आराजी होने के कारण दोनों दावों का निस्तारण तहत न्यायालय ने एक साथ किया गया है । इसलिए इस न्यायालय द्धारा भी दोनों अपीलों का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें ।

अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक ने बहस में निवेदन किया कि तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 31.12.2002 के खिलाफ दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं । दि0 8.10.1997 के इस न्यायालय के आदेश से प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था । तहत न्यायालय ने अपने निर्णय दि0 31.12.2002 से तनकी नं0 4 बनायी जिसका अवलोकन कराया । दि0 8.10.1997 के आदेश की मंशा के अनुसार तहत न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं किया बल्कि निर्देश ये थे कि जो साक्ष्य लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी । अतः नयी तनकी नं0 4 सही विवेचित नहीं की है । अपीलांट की शहादत को विवेचित नहीं

किया । अतः तनकी नं0 4 के लिए प्रकरण पुनः तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया ।

बहस में आगे कहा कि अपील में अपीलांट की मुख्य प्रार्थना ये है कि तहत न्यायालय को राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दि0 8.10.1997 के आदेश की पालना करनी चाहिए । अपीलांट/प्रतिवादी की जो साक्ष्य पेश की है उसकी ही व्याख्या करनी है परन्तु ऐसा कुछ नहीं किया । तहत न्यायालय को नयी साक्ष्य नहीं लेनी थी बल्कि जो साक्ष्य थी उसकी ही व्याख्या करनी चाहिए नई साक्ष्य नहीं लेनी थी ।

इसलिए तहत न्यायालय के दोनों निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य हैं और दोनों अपीलें अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की । उन्होंने अपने समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू. 1987 पेज 44, डब्ल्यू.एल.सी. 2009 पेज 239, डी.एन.जे. 2013 पेज 987, आर.आर.डी. 1984 पेज 882 पेश की ।

प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने जवाब बहस में कहा कि रेस्पो0 के पिता जोरावर ने एक दावा तहत न्यायालय में ख0 नं0 195 हाल बन्दोबस्त सम्वत् 2046 में बना का पेश किया । सम्वत् 2014 में साबिक ख0 नं0 153 था उससे पहले ख0 नं0 1389 व 139 था । तहत न्यायालय में रेस्पो0 ने यह मिलान क्षेत्रफल का रेकार्ड पेश किया । दावे में ये बिन्दू था कि वादी की आराजी है, काबिज है । सम्वत् 2046 से पूर्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है तथा कब्जा काश्त है । यह ग्राम जागीर का गांव था जिसमें जोरावरसिंह जागीरदार थे तथा सम्वत् 2009 में जागीर खुदकाश्त दर्ज थी । सम्वत् 2014 में बन्दोबस्त हुआ । वादी को खातेदार काश्तकार खुद काश्त के आधार पर दर्ज कर दिया परन्तु प्रतिवादी को बकाश्त दर्ज कर दिया । परन्तु 2046 में बन्दोबस्त कर्मचारियों से मिलकर शमशेर ने खातेदारी दर्ज करवा ली जबकि बिना विधिक आदेश पूर्व इन्द्राज बदलने का सैटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं था । इन गलत इन्द्राजों के आधार पर प्रतिवादी अपने आपको खातेदार कहने लग गया । दावा के जवाब में रेस्पो0 ने बन्दोबस्त के इन्द्राजों को सही बताया और वाद पत्र के तथ्यों को मना किया ।

अपीलांट के अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यों को पढ़ा । बन्दोबस्त के पर्चे को सही बताया । सन् 2013 से काबिज बताया व शिकमी दर्ज होना अवगत कराया । वादी के दावें के मुताबिक सम्वत् 2014 से पूर्व से प्रतिवादी का कब्जा नहीं था । दोनों दावों व जवाब दावों के आधार पर तहत न्यायालय ने तीन तनकी कायम की । तनकी सं0 3 रेस्पो0 की थी जो रेस्पो0 के पक्ष में निर्णित हुई चौथी तनकी राजस्व अपील प्राधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश से बनी । प्रतिवादी को उनके अस्थाई निषेधाज्ञा के वाद में दावा साबित करने के लिए साक्ष्य व रेकार्ड पेश करना था जो पेश नहीं किया । शमशेर के तहत न्यायालय में स्वयं के बयान थे, अन्य कोई साक्ष्य नहीं थी तो तहत न्यायालय किससे डिस्कस करता । नई साक्ष्य पेश क्यों नहीं की । रेस्पो0 ने 7 दस्तावेज प्रस्तुत किये । क्या एल.आर.एक्ट के तहत क्या बन्दोबस्त शिकमी काश्तकार को खातेदार घोषित कर सकता है । केवल राज0 टिनेन्सी एक्ट में ही खातेदारी का प्रावधान है । एक्जी.4 का अवलोकन कराया जिसमें कोई तारीख नहीं है, आदेश नहीं कि शमशेर को गलत खातेदार स्वीकार किया है । आर.आर.डी. 2000 पेज 95 में

प्रतिपादित किया है कि यदि सम्वत् 2055 में रेकार्ड में नाम दर्ज नहीं है तो चाहे किसी का भी कब्जा हो तो भी खातेदारी नहीं मिल सकती है । सैक्शन 15 में खातेदारी चाहते हैं तो टिनेन्ट होने का रेकार्ड पेश करना होगा । सम्वत् 2017 में मार्फत शिकमी दर्ज है तो ऐसे शिकमी को कोई अधिकार नहीं मिल सकता है । जो इन्द्राज शून्य है और उनके आधार पर खातेदारी चाहते हैं जो नहीं मिल सकती है ।

बहस में आगे कहा कि जहां तक साक्ष्य को डिस्कस नहीं करने का प्रश्न है तो क्या साक्ष्य थी । जब नई तनकी बन गयी तो अपीलांट ने क्या साक्ष्य पेश की । पहले केवल स्वयं के ही बयान करवाये हैं, अन्य साक्ष्य क्यों नहीं पेश की है । तहत न्यायालय ने धारा 188 में दावा वादी सही खारिज किया है । रेस्पो0 ने दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से दावों को सिद्ध किया है । अतः तहत न्यायालय ने वादी/रेस्पो0 का दावा सही डिक्री किया है तथा अपीलांट/प्रतिवादी का दावा सही खारिज किया है ।

बहस में आगे कहा कि अपीलांट का मुख्य कथन ये रहा है कि तनकी सं0 4 के अनुसार पुरानी साक्ष्य को विवेचित करना चाहिए था जबकि हमारा यह कहना है कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के अनुसार जब नयी तनकी बन गयी तो नयी साक्ष्य लेनी चाहिए । आदेश 18 नियम 17 के अनुसार न्यायालय को पावर है कि वह नयी साक्ष्य ले सकते हैं । मेरा प्रार्थना पत्र 250 रू0 पर स्वीकार हुआ तब मैंने मनोहर की साक्ष्य करायी । इस नयी साक्ष्य की कोई रिवीजन अपीलांट ने नहीं की तो आज उसका ऐतराज नहीं कर सकते हैं । कोस्ट पर अपीलांट को साक्ष्य का मौका दिया । अपीलांट ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की । अपीलांट के पास मौखिक साक्ष्य के अलावा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया तो क्या मौखिक साक्ष्य से खातेदार मान लिया जावें । अतः अपीलांट का प्रकरण कही भी लाई नहीं करता है । अतः अपील खारिज की जावें ।

उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 1960 पेज 48, आर.आर.डी. 1982 पेज 665, आर.आर.डी. 1988 पेज 736, आर.आर.डी. 1983 पेज 64, आर.आर.डी. 1998 पेज 163, 290, आर.आर.डी. 1997 पेज 167, आर.आर.टी. 2018 पेज 292, आर.आर.डी. 2002 पेज 540, आर. आर.टी. 2015 पेज 1214, आर.आर.डी. 2000 पेज 95, आर.आर.डी. 1989 पेज 337, आर.बी.जे. 2001, आर.आर.डी. 1997 पेज 429, आर.बी.जे. 1998 पेज 148 प्रस्तुत की ।

जवाबुल जवाब में अभिभाषक अपीलांट का कहना है कि वादी पहले कभी उपस्थित नहीं हुआ तो कमी पूर्ति के लिए साक्ष्य नहीं ली । वादी की तो साक्ष्य होनी ही नहीं थी । मनोहरलाल की साक्ष्य क्यों हुई ? नयी तनकी का अवलोकन कराया जिसमें कहीं नहीं लिखा कि प्रतिप्रेषित प्रकरण के अनुसार पुनः साक्ष्य नहीं लेवें । केवल नयी तनकी बनाकर निर्णय करना था तो तहत न्यायालय ने गलत निर्णय दिया है उसी की अपील की है । मिसल हकीयत सम्वत् 2046 बन्दोबस्त में अपीलांट खातेदार है, उसे डिस्कस क्यों नहीं किया और तनकी अपीलांट के खिलाफ तय कर दी । रिमाण्ड आदेश की पालना तहत न्यायालय ने बिल्कुल नहीं की । क्या एक्जीविट डालने से पक्ष प्रमाणित होता है । नोटेरी व पटवारी के बयान नहीं है तो कैसे साबित माने कि दस्तावेज सही हैं । इन दस्तावेजों में 2009 में काश्त कहां हैं तथा कल्याणसिंह के पिता की काश्त कहां है ? तहत न्यायालय ने केवल दस्तावेजों

के आधार पर कब्जा काश्त मानकर खातेदारी देने की डिक्री पारित की है जो गलत है । जागीर का गांव था जिसके जागीरदार कल्याणसिंह थे । रेस्पो0 सम्वत् 2046 के बन्दोबस्त के इन्द्राजों को चैलेन्ज कर रहे हैं तो सम्वत् 2014 के इन्द्राजों को क्यों नहीं चैलेन्ज किया । शिकमी का मतलब यह है कि अपीलांट 2014 में काश्तकार था । रेस्पो0 का एक भी दस्तावेज नहीं है जिससे इनका कब्जा हो । सम्वत् 2017–20 की जमाबन्दी रेस्पो0 ने पेश की है उसका अवलोकन कराया । इसमें अपीलांट सबटिनेन्ट है तो क्या इनको सम्वत् 2014 से चैलेन्ज किया है । तहत न्यायालय ने आधे इन्द्राज को कैसे बदल दिया । कानूनी बिन्दू ये है कि ये इन्द्राज या तो पूरे रहेगें या पूरे बदल जायेगें । सम्वत् 2012 के कोई दस्तावेज रेस्पो0 के पास नहीं है तो रेस्पो0 को खातेदारी कैसे मिलेगी । अपीलांट ने सम्वत् 2046 में ये कहा कि सैक्शन 19 के तहत खातेदारी मिली है । बन्दोबस्त ने सरकार के आदेश के आधार पर निरीक्षण के दौरान गलत इन्द्राजों को सही कर सकती है । कब्जा कैसे साबित होगा, यह प्रश्न उठाया है । अपीलांट कहते हैं कि अपीलांट रेकार्ड में सब टिनेन्ट अंकित है । इससे स्पष्ट है कि अपीलांट काश्त कर रहा हूं तो अदालत अपीलांट को कैसे हटा सकती है । अन्त में कहा कि तहत न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया के निर्देश मानने चाहिए । इसलिए अपीलें अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया ।

जवाबुल जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि सम्वत् 2014 की जमाबन्दी जुगरावर, कल्याणसिंह की है जिसमें रेस्पो0 खातेदार है अपीलांट नहीं । सम्वत् 2017 की जमाबन्दी में अपीलांट पहलीबार आये हैं उसमें मार्फत माना है । यहां ये सब टिनेन्ट हैं । सब टिनेन्ट वो है जो सम्वत् 2012 में सब टिनेन्ट हैं । सम्वत् 2013 के सब टिनेन्ट भी मान्य नहीं हैं । सब टिनेन्ट क्या लगान देता है, क्या रसीद है ? शिकमी का कोई अधिकार नहीं है । सैक्शन 19 में क्या खातेदारी मिल सकती है ? इसलिए दोनों अपीलें अपीलांट खारिज करने की इस्तदुआ की ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2002 का अवलोकन किया । प्रस्तुत कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

अपील में उभयपक्षों का प्रथम मुख्य बहस का बिन्दू ये है कि पूर्व में जब अपीलेट कोर्ट राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 08.10.1997 से प्रकरण तनकी सं0 4 कायम करते हुए पुनः निर्णय के आदेश दिये हैं, तो अपीलांट के अनुसार नयी साक्ष्य नहीं जानी चाही तथा रेस्पो0 के मत के अनुसार नयी साक्ष्य न्यायालय द्धारा ली है तथा स्वयं अपीलांट को साक्ष्य का मौका दिया था परन्तु अपीलांट/प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की । अपीलांट इस बिन्दु को तय कराना चाहते हैं । इस पर न्यायालय का मत है कि तहत न्यायालय ने नयी तनकी सं0 4 कायम कर दी तथा उस पर उभयपक्षों को साक्ष्य का अवसर दिया था, परन्तु प्रतिवादी/अपीलांट ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की और वादी/रेस्पो0 ने साक्ष्य पेश की है । यहां न्यायालय का कानूनी मत है कि यदि प्रकरण का कब्जे काश्त व गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है और इसके लिए उभयपक्षों को साक्ष्य पेश

करने का समान अवसर दिया है तो इसमें कानून के विरूद्ध क्या है ? द्वितीय यह भी बिन्दू है कि यदि नयी साक्ष्य पेश करने के आदेश तहत न्यायालय ने दिये थे तो उस आदेश की रिवीजन क्यों नहीं की । तब यह आपत्ति पेश क्यों नहीं की है ।

जहां तक अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है उसे रेकार्ड, कानून व साक्ष्य से विवेचन उपरान्त गुणावगुण पर पारित किया है जो विधिसम्मत है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है ।

अतः ऐसी स्थिति में अपील के बिन्दू व आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है और दोनों अपीलें काबिल खारिजी के हैं ।

अतः दोनों अपीलें अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 31.12.2002 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो । निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/10/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर